नामली में अवैध गैस रिफिलिंग पर छापा, 31 सिलेंडर जब्त

कार्रवाई की जा रही है

रतलाम ग्रामीण तहसीलदार आशीष उपाध्याय ने बताया कि यहां अवैध घरेलु सिलेंडर से रिफिलिंग की जा रही थी। राजस्व और फूड डिपार्टमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर 31 सिलेंडर जब्त किए। इनमें 22 भरे और 9 खाली हैं।

▸ राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई

नवभारत न्यूज

रतलाम/नामली। नगर में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडरों से रिफिलिंग करने के मामले में राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने बुधवार रात को कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार गोपनीय शिकायत के आधार पर महू रोड स्थित शहज़ाद सर्विस सेंटर पर छापा मारा गया, जहां घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, रिफिलिंग की जा रही थी।

कार्रवाई के दौरान टीम को मौके से कुल 31 गैस सिलेंडर मिले, जिनमें 22 भरे हुए और 9 खाली सिलेंडर शामिल हैं। जब्त सिलेंडरों में भारत गैस के 21, एचपी के 4, इंडियन आर्मी के 5 और रिलायंस का 1 सिलेंडर पाया गया। इनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 87 हजार 780 रुपए बताई गई है। कार्रवाई रतलाम ग्रामीण तहसीलदार आशीष उपाध्याय, पटवारी टीकमसिंह चौहान, खाद्य विभाग के सहायक आपूर्ति अधिकारी मुकेश चौहान तथा थाना प्रभारी गायत्री सोनी की मौजूदगी में पुलिस बल के साथ की गई। जांच में सामने आया कि संचालक शहजाद मंसूरी पिता टीपू सुल्तान द्वारा अवैध गोदाम बनाकर सिलेंडर रखे गए थे और एक सिलेंडर की गैस 1200 से 1300 रुपए में बेची जा रही थी। समाचार लिखे जाने तक पंचनामा बनाकर आगे की कार्रवाई जारी थी। पूर्व में भी यहां कार्रवाई हो चुकी हैं।

राजस्व अधिकारियों ने गैस एजेंसियों के वितरण केन्द्रों का किया निरीक्षण

रतलाम। कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशानुसार जिले में राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में गैस एजेंसियों के वितरण केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। बाजना क्षेत्र में बाजना, रावटी स्थित गैस एजेंसी का निरीक्षण किया गया। आलोट क्षेत्र में आलोट, मंडावल स्थित इंडेन गैस एजेंसी का निरीक्षण किया गया। सैलाना मे भी गैस एजेंसी के वितरण केन्द्रों का निरीक्षण किया गया एवं वितरको को शासन के निर्देशानुसार वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गये। उपलब्ध स्टॉक और वितरण व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने तथा आवश्यक स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए।

आवेदक को कोर्ट रीडर की गलती पड़ी भारी

जमानत के बाद भी 12 दिन से अधिक समय जेल में रहा

जबलपुर, 11 मार्च. हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट के रीडर की गलती के कारण आरोपी को 12 दिनों से अधिक जेल में रहना पडा. रीडर ने जमानत के दस्तावेज स्पेशल जज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए उसमें सुधार के लिए वापस कर दिये. हाईकोर्ट जस्टिस ए के सिंह की एकलपीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने आदेश में कहा है कि रीडर की गलत सोच के कारण आवेदक को 12 दिनों से अधिक समय तक गलत तरीके से कस्टडी में रखा गया. रीडर द्वारा अपनाया गया तरीका सही नहीं था.

गौरतलब है कि जबलपुर के हनुमान ताल पुलिस ने आरोपी जीशान खान के खिलाफ एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था.

आरोपी उक्त अपराध में विगत 10 जुलाई 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है.

हाईकोर्ट से आरोपी को उक्त अपराधिक प्रकरण में विगत 18 फरवरी 2026 को जमानत मिल गयी थी. आरोपी की तरफ से 20 फरवरी को जमानत के दस्तावेज ट्रायल कोर्ट के स्पेशल जज की अदालत में प्रस्तुत किये गये थे. रीडर ने हाईकोर्ट के आदेश में एक धारा का उल्लेख नही किये जाने की त्रुटि निकालते हुए उसे स्पेशल जज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुए सुधार कार्य करवाने के लिए वापस कर दिये.

जमानत आदेश में सुधार के लिए हाईकोर्ट में दायर की गयी थी. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि जमानत दस्तावेज संबंधित विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हुए रीडर ने हाईकोर्ट के आदेश पर कमी निकालते हुए उसे वापस कर दिया.

रीडर ने जो तरीका अपनाया वह सही नहीं है. ऑर्डर में कुछ कमी थी तो उनका फ़र्ज था कि वह कागज़ात स्पेशल जज के सामने प्रस्तुत करें. स्पेशल जज को कानूनी ऑर्डर पास करना चाहिए. किसी केस में ज़रूरी बातें केस नंबर होता है, जिसका ज़िक्र आदेश में था. इसके अलावा क्राइम नंबर और आरोपी के नाम का उल्लेख भी आदेश में था. आदेश आरोपी और उस केस की पहचान करने के लिए काफी था. एकलपीठ ने उक्त आदेश को पूर्व में पारित आदेश के साथ पढ़ने के निर्देश जारी किये है.

पहली बार ग्वालियर में होगा व्हीलचेयर अल्टीमेट टूर्नामेंट

टूर्नामेंट में भाग लेने

10 पुरूष
04 महिला
टीमें ग्वालियर आई

ग्वालियर. अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण संस्थान में आज से उमोया स्पोर्टस द्वारा राष्ट्रीय व्हीलचेयर अल्टीमेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है. देश में उपरोक्त खेल का यह पहला राष्ट्रीय आयोजन हैं, जिसको लेकर विकलांग खिलाड़ियों में भारी उत्साह है.

इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से 10 पुरूष एवं चार महिला टीमें ग्वालियर आ चुकी हैं. टूर्नामेंट के मैच गुरूवार सुबह 8 बजे से आरंभ हो जाएंगे. ओपनिंग सेरेमनी सुबह 11 बजे होगी, जिसमें जनप्रतिनिधि एवं खेलों से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी. उमोया फाउंडेशन के फाउंडर एवं टूर्नामेंट के कोर्डिनेटर आदित्य केवी ने बताया कि पुरूष वर्ग में दिल्ली, हरियाणा, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात के साथ भारत की टीम भाग लेगी.

दिल्ली चलो के नारे के साथ संसद घेराव की तैयारी

युवा कांग्रेस की बैठक

जबलपुर, 11 मार्च. भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर 16 मार्च 2026 (सोमवार) को केंद्र की भाजपा सरकार के कथित कुशासन के खिलाफ संसद घेराव किया जाएगा. इस कार्यक्रम में देशभर से युवा कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बड़ी संख्या में शामिल होंगे.

इसी क्रम में जबलपुर शहर युवा कांग्रेस द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संसद घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई. बैठक में निर्णय लिया गया कि जबलपुर से अधिक से अधिक संख्या में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर आंदोलन में भाग लेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे. बैठक में शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष सोनू कुकरेले ने कहा कि अन्याय और कुशासन के खिलाफ युवाओं को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा. 'दिल्ली चलो, दिल्ली चलो' के संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचकर संसद घेराव आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया गया.

ये रहे उपस्थित

बैठक में अभ्युत बाजपेयी, नितिन सिंह, समीर गढ़वाल, शिशांत सिंह ठाकुर, अंकुर गुप्ता, आदेश चौबे, आयुष पहाड़िया, मोशीन मंसूरी, रोहित रैकवार, आशु दुबे, शुभम अग्रवाल, राघव तिवारी, संजू अहिरवार, राहुल सोनी, विवेक रजक समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण

रीवा, 11 मार्च, नगर निगम द्वारा वार्ड 14 एवं 15 संजय नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम की टीम द्वारा पुलिस बल एवं जिला राजस्व अमले के साथ की गई.

संजय नगर की मुख्य सडक़ के दोनो तरफ स्थानीय लोगो ने अतिक्रमण कर रखा था. अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान कई लोगो ने विरोध भी किया लेकिन समझाइश के बाद मान गए. कई पक्के निर्माण को तोड़ा गया जिनके द्वारा घरों का सज्जा बढ़ाया गया था और जो सीमांकन के दौरान अतिक्रमण में पाए गये. सीमांकन उपरांत रास्तों के अगल-बगल किए गए वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई. अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण करते हुए कच्चे-पक्के मकान, रैम्प आदि रोड पर बना लिए गए थे.

एक नजर में

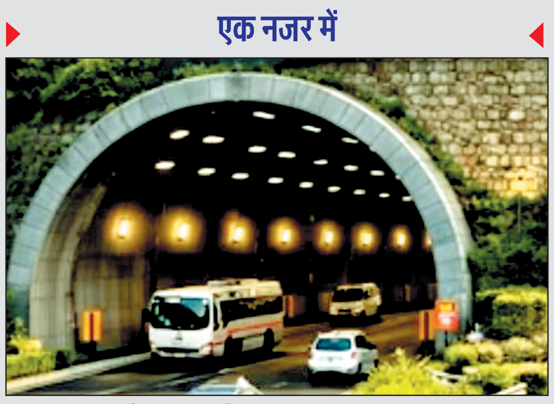

छुहिया घाटी में बनेगी 6 लेन टनल, 5 करोड़ मंजूर

सीधी, 11 मार्च. सीधी-रीवा सीमा पर स्थित छुहिया घाटी में जल्द ही 6 लेन टनल का निर्माण किया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए राज्य सरकार ने डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने हेतु 5 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही टनल निर्माण की प्रक्रिया को गति मिल गई है. प्रस्तावित टनल की लंबाई करीब 14.50 किलोमीटर होगी. रीवा-सीधी-शहडोल मार्ग पर स्थित छुहिया घाटी में टनल बनने से वाहनों की आवाजाही काफी आसान हो जाएगी. वर्तमान में यहां तीखे और अंधे मोड़, संकरी सड़क और कठिन चढ़ाई के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं. टनल बनने के बाद इन जोखिमों से काफी हद तक राहत मिलेगी और यात्रियों को सुरक्षित व सुगम मार्ग मिलेगा. साथ ही सड़क की लंबाई कम होने से यात्रा में करीब **एक घंटे तक का समय बचने** की संभावना है. टनल निर्माण के बाद रीवा-शहडोल मार्ग की दूरी लगभग 14 से 20 किलोमीटर तक कम हो सकती है, जबकि सीधी जिले की दूरी भी करीब 12 से 15 किलोमीटर तक घटने की उम्मीद है. इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों वाहन रीवा, सतना, अनूपपुर, अमरकंटक और छत्तीसगढ़ की ओर आवागमन करते हैं, जिन्हें इस परियोजना से बड़ा लाभ मिलेगा. बताया जा रहा है कि यह परियोजना प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल की पहल से आगे बढ़ी है. लंबे समय से क्षेत्र के लोग इस टनल की मांग कर रहे थे. टनल बनने से न केवल आवागमन तेज और सुरक्षित होगा, बल्कि विंध्य क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को भी नई गति मिलेगी.

खेल पदों पर होने वाली नियुक्तियां अंतिम निर्णय के अधीन

जबलपुर, 11 मार्च. मप्र हाईकोर्ट ने एक अहम अंतरिम आदेश के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक खेल के पदों पर होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है. इस पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यता को चुनौती देने के मामले में जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय, मप्र कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की गई है. मुरैना निवासी सुरेन्द्र सिंह कुशवाह और मुरारी लाल शाक्य की ओर से अधिवक्ता आर्यन उरमलिया ने पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने माध्यमिक शिक्षक (खेल) भर्ती 2024 में भाग लिया. पात्रता और चयन परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उनका नाम मेरिट में आया. इसके बाद दस्तावेज परीक्षण में उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई. याचिकाकर्ताओं के पास डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन की योग्यता है. परीक्षण में यह कहा गया कि उक्त पद के लिए बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की योग्यता चाहिए. याचिका में दलील दी गई कि भर्ती अधिसूचना में बीपीएड और डीपीएड को समकक्ष योग्यता का प्रावधान किया गया था.

एटीएम कार्ड बदलकर अधिवक्ता के खाते से उड़ाए 47 हजार

जबलपुर, 11 मार्च. कांचघर हनुमान टोरिया निवासी एक अधिवक्ता का जालसाज ने एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 47 हजार रूपए पार कर दिए. ठगी का पता उस वक्त चला जब अधिवक्ता का पुत्र एटीएम से पैसे निकालने के लिए गया. बेलबाग पुलिस ने रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक मंगलवार दोपहर विजय कुमार चौधरी (47) निवासी कांचघर हनुमान टोरिया घमापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे अधिवक्ता है. उसने अपने बेटे को अपना एटीएम कार्ड देकर कुछ पैसे निकालने के लिये कहा, उसका बेटा ऋषि चौधरी कांचघर स्थित एटीएम जाकर फोन से बताया कि पैसे नहीं निकल रहे हैं उसने कहा कि पिन गलत डाल दिया होगा, बेटे ने एटीएम कार्ड के ध्यान से देखा जिस पर रामअवतार यादव नाम लिखा था, उसने अपने एसबीआई बैंक खाता से स्टेट मेंट निकालकर देखा पता चला कि उसके एटीएम से 40 हजार रूपये नगद बेलबाग तिराहा के पास स्थित एसबीआई एटीएम एवं सुनरहाई ज्वेलर्स दुकान से एटीएम से पायल खरीदी गई एवं उसके एटीएम कार्ड से 7 हजार रूपये पेमेंट किया गया, सब्जी खरीदकर सब्जी वाले को अपने पर्स निकालकर पैसे दिये थे उसे शक है कि वहीं पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधडी कर पैसे निकालने के इरादे से उसके एसबीआई एटीएम को बदलकर रामअवतार यादव का एटीएम उसके पास रख दिया.

वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद

▸ अतिक्रमण हटाने पहुंची जेसीबी के आगे लेटीं महिलाएं

गुना, 11 मार्च. जिले के बजरंगगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोजना मोजा में बुधवार को उस समय स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जब वन विभाग की टीम भारी पुलिस बल और तीन-चार जेसीबी मशीनों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंच गई.

कार्रवाई के दौरान वन विभाग के अमले और ग्रामीणों के बीच तीखी बहस और झूमा-झटकी हुई. कार्रवाई का विरोध करते हुए परिवार की महिलाएं मशीनों के आगे लेट गईं.

दरअसल, हिलगना बीट गुना दक्षिण वन परिक्षेत्र की करीब 100 से 150 बीघा जमीन पर कई परिवार काबिज हैं. ग्रामीणों का दावा है कि वे यहां वर्ष 1970 से पहले, यानी लगभग तीन-चार पीढ़ियों से रह रहे हैं और खेती कर रहे हैं. कुछ परिवारों ने जमीन का पट्टा होने का दावा भी किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद विभाग जबरन बेदखल करने की कार्रवाई कर रहा है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मुख्य वन संरक्षक के आदेशानुसार इस जमीन पर प्लांटेशन कार्य स्वीकृत किया गया.

स्टेट बार की महिला प्रत्याशियों के लिए हों पृथक मतपत्र

जबलपुर, 11 मार्च. एमपी स्टेट बार चुनाव में महिला प्रत्याशियों के लिए पृथक मतपत्र की व्यवस्था की मांग फिर बुलंद की गई है. इसे लेकर पूर्व में मांग-पत्र भेज गया था. लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसीलिए स्मरण-पत्र भेजा गया है. भारत के प्रधान न्यायाधीश, बार काउंसिल आफ इंडिया, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और स्टेट बार के चेयरमैन व सचिव को भेजे गए स्मरण-पत्र में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत का हवाला दिया गया है. साथ ही इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई गई है कि चुनाव प्रक्रिया अंतर्गत अब तक एक ही मतपत्र का प्रविधान है, जो कि अनुचित है.

एयरपोर्ट पर 4.8 किलो हेरोइन जप्त

नीमच, 11 मार्च. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने मणिपुर के बीर टिकेंद्रजीत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर 4.8 किलोग्राम हेरोइन के साथ मध्य प्रदेश के नीमच निवासी दो युवकों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई 27 फरवरी की दोपहर नियमित तलाशी अभियान के दौरान की गई. दोनों आरोपी एयर इडिया एक्सप्रेस की गुवाहाटी जाने वाली फ्लाइट आईएक्स-1038 में सवार होने की कोशिश कर रहे थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुरेश प्रजापत (30) और विजय सिंह (28) के रूप में हुई है, जो नीमच नगर के इंदिरा नगर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं. सीआईएसएफ कर्मियों ने संदेह के आधार पर तलाशी ली, जिसमें उनके पास से करीब 4.8 किलोग्राम हेरोइन पाउडर बरामद हुआ. इसके बाद दोनों को दोपहर करीब 3:42 बजे हिरासत में ले लिया गया. बरामदगी के बाद आरोपियों को जब्त मादक पदार्थ के साथ आगे की कार्रवाई के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) को सौंप दिया गया.

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा (सीबीएन) कोटा की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महू-नीमच रोड स्थित भाटखेड़ा चौराहे के पास से 14 किलो 300 ग्राम अवैध अफीम जब्त की है. बाइक सवार दो आरोपी अफीम को बैग में मूंगफली के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे. खुफिया सूचना के आधार पर टीम ने संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली, जिसमें 10 पैकेटों में छिपाई गई अफीम बरामद हुई.

शिवराज, वीडी शर्मा व भूपेंद्र सिंह दोषमुक्त

राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने वापस लिया मानहानि का केस

जबलपुर, 11 मार्च. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा मानहानि का केस वापस लिए जाने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खजुराहो सांसद वीडी शर्मा व भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह को भी दोषमुक्त कर दिया.

मामले की सुनवाई के दौरान परिवादी तन्खा की ओर से अधिवक्ता सोम मिश्रा व शिवराज सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता श्याम विश्वकर्मा खड़े हुए. दलील दी गई कि यह परिवाद चार जनवरी 2025 को दायर किया गया था. 29 अप्रैल 2023 को परिवादी के कथन अंकित किए गए थे. कोर्ट ने 20 जनवरी 2024 को शिवराज सहित अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का आदेश दिया था. किंतु इससे पहले की इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया जाता, इससे पूर्व परिवादी तन्खा की ओर से मानहानि का प्रकरण वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग का था मामला

यह मामला 2021 में हुए मध्य प्रदेश के पंचायत चुनावों से जुड़ा था. उन दिनों विवेक तन्खा वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े एक केस में पेश हुए थे. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कुछ बयान दिए थे. तन्खा का कहना था कि इन बयानों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा.

फरार बदमाश अवैध पिस्टल के साथ दबोचा

जबलपुर. गोरखपुर पुलिस ने मारपीट के मामले में फरार चल रहे एक शातिर बदमाश को लोड पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है. गोरखपुर थाना प्रभारी नितिन कमल ने बताया कि हनुमान मंदिर के आगे, ट्रांसफार्मर डिपो के पीछे रोड किनारे दबिश देकर करन दाहिया (21) निवासी मांडवा टेण्डर-1, रामपुर को पकड़ा गया. तलाशी लेने पर उसकी कमर में एक पिस्टल मिली, जिसकी मैगजीन में एक कारतूस लोड था. पुलिस ने हथियार जब्त कर आरोपी के खिलाफ धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पकड़ा गया आरोपी करन दाहिया शातिर अपराधी है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश के बावजूद खुले में मांस बिक्री

- **शहर में कई स्थानों पर धड़ल्ले से चल रहा विक्रय**
- **खुले में मांस बेचने पर सरकार ने लगाया है प्रतिबंध**
- **प्रशासन ने कार्रवाई के लिए संयुक्त टीम बनाने की कही बात**

सीधी, 11 मार्च. मप्र में खुले में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद सीधी शहर में नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है. जिला मुख्यालय के सम्राट चौक, लालता चौक सहित कई प्रमुख बाजार क्षेत्रों में सड़क किनारे खुले में मांस बेचा और काटा जा रहा है. इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है.

दरअसल, मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने 13 दिसंबर 2023 को आदेश जारी कर बिना लाइसेंस या नियमों का उल्लंघन करते हुए खुले में पशु मांस और मछली की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे.

म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 253, 254, 255 और म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 265 व 269 के तहत नगरीय क्षेत्रों में बिना अनुमति पशु मांस और मछली का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है. इसके बावजूद सीधी में कई स्थानों पर नियमों के विरुद्ध मांस की बिक्री जारी है. शहर के सम्राट चौक से पड़ैनिया मार्ग तक ठेलों पर खुलेआम मांस बेचा जा रहा है.

इनका कहना है...

सामाजिक विचारक विपिन कुमार सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह के आदेश पहले भी कई बार जारी किए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनका पालन नहीं हो पा रहा है. उनका कहना है कि यदि प्रतिबंध प्रभावी है तो खुलेआम बिक्री क्यों हो रही है और यदि आदेश लागू है तो बार-बार इसकी घोषणा क्यों करनी पड़ रही है. वहीं एसडीएम गोपद बनास राकेश शुक्ला ने कहा कि सम्राट चौक और लालता चौक सहित प्रतिबंधित क्षेत्रों में मांस बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए जल्द ही नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर अभियान चलाया जाएगा.

मामला दर्ज | **बालिका सुधार गृह से पहले भी कई बार भाग चुकी हैं बालिकाएं**

वार्डन से मारपीट कर 3 लड़कियां ताला खोलकर भागीं

मुरैना, 11 मार्च. बड़ोखर स्थित बालिका सुधार गृह से बीती रात में महिला वार्डन के साथ मारपीट कर उससे चाबी छीनकर तीन लड़कियां भाग गईं. इनमें एक बालिग है और दो नाबालिग हैं. इसी सुधार गृह से पहले भी कई बार बालिकाएं भाग चुकी हैं. स्टेशन रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर भागी लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है.

स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बड़ोखर में स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित 'शक्ति सदन बड़ोखर' वार्ड क्रमांक 2 महाकाल वार्ड में रात के समय सुधार गृह की महिला वार्डन रामस्नेही सोलंकी अपने कक्ष में सो रही थीं. तभी तीनों लड़कियों ने एक साथ वार्डन पर हमला कर दिया, उसके साथ मारपीट की और चाबी छीनकर ताला खोलकर भाग गईं. स्टेशन रोड थाना पुलिस ने घटना के बाद मौके पर पहुंचकर जांच की और मामला दर्ज कर लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है.

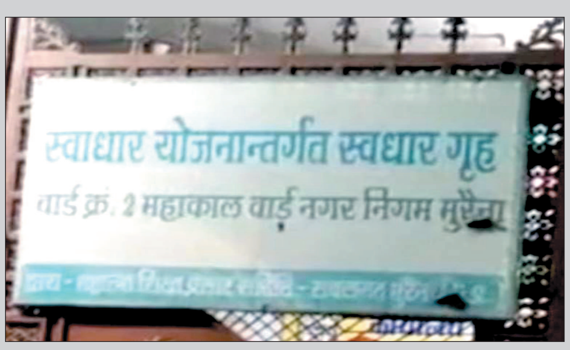

वार्डन रामस्नेही सोलंकी के अनुसार रात में सुधार गृह के मुख्य गेट पर ताला लगाकर वह अपने कमरे में सो रही थीं. अचानक सोते समय उन पर हमला हुआ और उनके साथ मारपीट होने लगी. उन्होंने देखा कि तीनों लड़कियां उन पर टूट पड़ीं और चाबी छीन ली. इसके बाद एक लड़की ने भागकर ताला खोला और तीनों वहां से भाग गईं. इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और अधिकारियों से संपर्क किया.